सत्यमेव जयते
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई–विकास संस्थान
उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास, भनपुरी इन्डस्ट्रियल एरिया
पो.आ.–बीरगॉव, रायपुर–493221 (छत्तीसगढ़)
Email : dcdi-raipur@dcmsme.gov.in

निविदा

इस कार्यालय की अनुपयोगी स्टाफ कार एम्बेसेडर पंजीयन नंबर सीजी 04 बी–1073 का निपटान ''जैसा है जहॉं है'' के आधार पर नियमानुसार किया जाना है, जिसके लिए निविदाएं सादे कागज पर या लेटर हेड पर आमंत्रित की जाती हैं। ये निविदाएं निदेशक, एमएसएमई–विकास संस्थान, रायपुर के नाम से संबोधित होकर दिनांक 27/03/2019 तक सायंकाल 4.00 बजे तक एमएसएमई–विकास संस्थान, उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास, भनपुरी इन्डस्ट्रियल एरिया, पोस्ट–बीरगांव, रायपुर (छ.ग.)–493221 पर प्राप्त हो जानी चाहिए। डाक द्वारा भेजी गई निविदाएं निर्धारित तिथि व समय के पूर्व ही इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए । प्राप्त निविदाएं उसी दिन अपराह्न 5.00 बजे खोली जाएंगी, जिसमें निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि उनकी इच्छानुसार उपस्थित रह सकते हैं।

स्टाफ कार का विवरण	स्टॉफ कार (Ambassador, CG04 B-1073)
तादात	01 नग
स्थान जहॉं सामान स्थित है	कार्यालय परिसर, एमएसएमई–विकास संस्थान, भनपुरी, रायपुर
धरोहर राशि	Rs. 5,000/- (पॉंच हजार रूपये मात्र)

नियम व शर्तें :

1.	सामान का निरीक्षण विवरण में दिए अनुसार एमएसएमई–विकास संस्थान, उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास, भनपुरी इन्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर (छ.ग.) में प्रातः 11.30 बजे से सायं. 4.30 बजे तक पूर्वानुमति से किया जा सकता है।
2.	उपरोक्त सामान के सम्मुख दर्शित धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में PAO (MSME), Mumbai (Payable at Mumbai) के नाम पर बंद लिफाफे में निविदा के साथ भेजी जानी जरूरी है, अन्यथा निविदा निरस्त मानी जायेगी । निविदा स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में डिमांड ड्राफ्ट इसी रूप में वापस किया जायेगा।
3.	धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट के बगैर जमा की गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4.	निविदा भरते समय सामान की कीमत अंकों तथा अक्षरों में अंकित की जानी चाहिए, जिसमें भिन्नता पाये जाने पर अथवा कटा–पिटी या अस्पष्ट होने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जायेगी।
5.	निविदा के साथ पार्टी को पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि में से कोई एक पहचान–पत्र की फोटोकापी लगाना आवश्यक है।
6.	सफल निविदाकर्ता को विक्रय आदेश प्राप्त होने के दिनांक से 10 कार्यदिवस के भीतर विक्रत माल की पूरी राशि नकद या डिमांड ड्राफ्ट PAO (MSME), Mumbai (payable at Mumbai) के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर राशि शासकीय खाते में जमा कर दी जायेगी तथा इसके लिए अलग से सूचित नहीं किया जायेगा।
7.	निविदा राशि जमा करने के पश्चात निपटान किए गए सामान को उपरोक्त दर्शाये संस्थान (एमएसएमई–विकास संस्थान, उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास, भनपुरी इन्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर) के पते से 10 कार्यदिवस के भीतर स्वयं के खर्च से उठाना होगा।
8.	निपटान किए गए सामान के सफल निविदाकर्ता को सामान उठाते समय अपना मूल पहचान प्रमाण पत्र (जिसकी फोटोकापी निविदा के साथ लगाई गई हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9.	सक्षम अधिकारी निदेशक/निदेशक प्रभारी, एमएसएमई–विकास संस्थान, रायपुर को बगैर कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(डी. डी. गजभिये)
उपनिदेशक (धातु.)/प्रशासन
एमएसएमई–विकास संस्थान, रायपुर
मो.नं. 9425365700